



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2017/ पौष 29, 1938

No. 50]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2017/PAUSA 29, 1938

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 57(अ).—केंद्रीय सरकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2001 के अध्याय 2 में, अईता से सम्बंधित नियम 2.1 के उपनियम 2.1.2 के खंड 1 में, उपखंड (iii) की मद (ख) में, “पाँच वर्ष” शब्दों के स्थान पर “आठ वर्ष” शब्द रखे जायेंगे।

[फा.सं. पी. 15025/242/2015-डीएफक्यूसी(खाद्य)]

के.एल.शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि सं. 362 (अ) में तारीख 5 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और उनमें अधिसूचना सा.का.नि सं. 508 (अ) तारीख 18 जुलाई 2014 द्वारा संशोधन किये गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2017

G.S.R. 57(E).— In exercise of the powers conferred by Section 91 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Safety and Standards Rules, 2011 namely:—

1. (1) These rules may be called the Food Safety and Standards (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards Rules, 2011, in Chapter 2, in rule 2.1, in sub-rule 2.1.2, in clause 1, relating to qualification, in sub-clause (iii), in item (b), for the words “five years”, the words “eight years” shall be substituted.

[F.No. P.15025/242/2015-DFQC(Food)]

K.L.SHARMA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.362(E), dated the 5th May, 2011 and amended vide notification G.S.R.508 (E), dated the 18th July, 2014.